झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत)—22 / 19

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
धनबाद।

राँची, दिनांकः—

विषयः— **धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों का राशन कार्ड रद्द किये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः— आयोग का पत्रांक—293 दिनांक—05.09.2019, पत्रांक—761 दिनांक—02.12.2020, पत्रांक—866 दिनांक—24.12.2020, पत्रांक—34 दिनांक—25.01.2021, पत्रांक—505 दिनांक—06.08.2021, पत्रांक—857 दिनांक—17.12.2021 एवं पत्रांक—233 दिनांक—11. 08.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अवैध रुप से राशन कार्ड रखे जाने संबंधी प्राप्त शिकायत पत्र के मामले में आयोग के पत्रांक—293 दिनांक—05.09.2019 द्वारा जाँचोपरान्त कारवाई हेतु आपको पत्र प्रेषित की गयी थी। उक्त मामले में आयोग के प्रासंगिक पत्रों द्वारा कार्रवाई हेतु कई बार स्मारित भी किया गया ।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक—775 दिनांक—25.02.2022 द्वारा आपके पत्र संख्या—125 दिनांक—09.02.2022 द्वारा समर्पित कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध करायी गयी है। प्रतिवेदन के अनुसार पाँच राशन कार्ड को अयोग्य मानते हुए रद्द कर दिया गया है। स्पष्ट है कि 5 अयोग्य परिवारों द्वारा राशनकार्ड के माध्यम से राशन का उठाव किया जा रहा था। आयोग के पत्रांक—293 दिनांक—05.09.2019 द्वारा भेजे गए परिवाद पत्र पर ससमय कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण तीन वर्षों तक अयोग्य कार्डधारियों द्वारा राशन का उठाव किया जाता रहा ।

अतः निदेशित किया जाता है कि उक्त मामले में अयोग्य व्यक्तियों द्वारा अधिक उठाव किये गये राशन के प्रति जिम्मेवार पदाधिकारी / व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / —

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत)—22 / 19 - 114 राँची, दिनांकः— 13.02.2023

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\sunil\vinod sir jiii\letter.docx1

पता— झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची —834002
email- Jharkhandfoodcommission@gmail.com ,ph. No. :- 06512252267/2252261